

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 106/2023

प्रार्थी  
तहसीलदार बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

- 1 खेतसिंह पुत्र पूरसिंह 2 गजेसिंह 3 नखतसिंह 4 सवाईसिंह 5 भवानीसिंह पिसरान पुरखसिंह 6 हरकंवर पत्नी पुरखसिंह 7 पनेसिंह 8 मंगलसिंह 9 वीरसिंह पिसरान मूलसिंह कौम राजपूत निवासी मीठड़ा, प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा महाबार
- 1 उम्मेदसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 2 कंवरसिंह पुत्र जयसिंह कौम राजपूत 3 खेतसिंह पुत्र पूरसिंह 4 खुमानसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 5 गजेसिंह पुत्र पुरखसिंह 6 गणपतसिंह पुत्र जबरसिंह 7 गुमानसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 8 गवरी पत्नी इन्द्रसिंह 9 जुंजारसिंह पुत्र लाधुसिंह 10 जुंजारसिंह 11 जेतमालसिंह पिसरान देवीसिंह 12 जामकंवर पत्नी देवीसिंह 13 तनसिंह 14 धनसिंह पिसरान जबरसिंह 15 नखतसिंह पुत्र पुरखसिंह 16 नखतसिंह पुत्र निम्बसिंह 17 पनेसिंह पुत्र मूलसिंह 18 प्रभूसिंह पुत्र जयसिंह 19 प्रभूसिंह पुत्र जयसिंह 20 बेरीसालसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 21 बाबुसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 22 भवसिंह पुत्र जयसिंह 23 भवानीसिंह पुत्र पुरखसिंह 24 भवानीसिंह पुत्र जयसिंह 25 मुकनसिंह पुत्र रूपसिंह 26 मंगलसिंह पुत्र मूलसिंह 27 मगसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 28 मेघसिंह पुत्र देवीसिंह 29 माणककंवर पत्नी जबरसिंह 30 रतनसिंह पुत्र जयसिंह 31 रेवन्तसिंह पुत्र निम्बसिंह 32 लछमणसिंह 33 वीरसिंह पिसरान मूलसिंह 34 सवाईसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 35 सवाईसिंह पुत्र पुरखसिंह 36 हरकंवर पत्नी पुरखसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा 37 प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा महाबार

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132


## आदेश

तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक राजस्व/2023/83 दिनांक 18.01.2023 द्वारा मौजा मीठड़ा पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर में आपसी सहमति से खातेदारों ने निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते जो बाड़मेर से मालपुरा की ओर जाने वाली मुख्या सड़क से होकर रास्ता चल रहा है जिसे रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में दर्ज करने का निवेदन किया है। लिहाजा मौजा मीठड़ा पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2209/1774 व 1767 रकबा क्रमशः 0.9065 व 30.2704 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.0822 व 0.2622 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, की किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया साथ ही तहसीलदार बाड़मेर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंका की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।


पटवार मण्डल - मीठड़ा

तहसील - बाड़मेर

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टी						नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी				
क्र. सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई	रास्ते में प्रभावित रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023/140	83/18.01.2023	मीठड़ा	2209/1774	0.9065	बा.सो.	2209/1774	137 मी. x 6 मी.	0.0822	गै.मु. रास्ता
2	2023/140	83/18.01.2023	मीठड़ा	1767	30.2704	बा.सो.	1767	437 मी. x 6 मी.	0.2622	गै.मु. रास्ता

  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर